रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 307] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 26, 2001/अग्रहायण 5, 1923

No. 307] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 26, 2001/AGRAHAYANA 5, 1923

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 2001

फा. सं. 9-3/2001/राअशिप.—राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 (1993 का संख्या 73) की धारा 14 और 15 के साथ ही राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् नियमावली, 1997 के नियम 7 (4) के साथ पठित धारा 32 की उपधारा (2) के खंड (च) तथा (ज) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, भारत के राजपत्र में 4 सितंबर, 2001 को प्रकाशित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंड और मानक) विनियम, 2001 में निम्न संशोधन करती है :

संक्षिप्त शीर्षक और प्रवर्तन

इन विनियमों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए मानदंड और मानक) (संशोधन) विनियम, 2001 कहा जाए।

भारत के राजपत्र असाधारण के भाग III, खंड 4 में 4-9-2001 को संख्या 239 के रूप में प्रकाशित इसी संख्या की राअशिप अधिसूचना में, जिसके माध्यम से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के मानदंड और (मानक) विनियम, 2001 अधिसूचित किए गए थे, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंड और मानक) 2001 के परिशिष्ट IV पर मास्टर ऑफ एजूकेशन कार्यक्रम (एम. एड.) (अंशकालिक) के मानदंडों और मानकों के पैरा 1 (ख) के स्थान पर निम्न प्रतिस्थापित किया जाता है :

"केवल विश्वविद्यालयों के शिक्षा विभाग, शिक्षा में उन्नत अध्ययन संस्थान (आएएसई) तथा कॉलेज ऑफ टीचर एजूकेशन (सीटीई) जोकि एम. एड. पाठ्यक्रम चलाते हैं एम.एड. (अंशकालिक) कार्यक्रम आयोजित करने के पात्र हैं बशर्ते कि ऐसा पाठ्यक्रम संबंधित संबंधन विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किया गया हो।"

ये संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

एस. के. राय, सदस्य सचिव

[विज्ञापन III/IV/131/2001/असा.]

Attested
25/4/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th November, 2001

No. F. 9-3/2001/NCTE.— In exercise of the powers conferred under clauses (f) and (h) of Sub-section (2) of the Section 32 read with Sections 14 and 15 of the NCTE Act, 1993 (No. 73, 1993) and further read with Rule 7(4) of NCTE Rules, 1997, the National Council for Teacher Education hereby makes the following amendments in the National Council for Teacher Education (Norms and Standards for Recognition of Teacher Education Programmes) Regulations, 2001 notified in the Gazette of India on 4th September, 2001.

Short Title and Commencement

These Regulations may be called the National Council for Teacher Education (Norms and Standards for Teacher Education Programmes) (Amendment) Regulations, 2001.

In the NCTE Notification of even number published in the Gazette of India Extraordinary Part III Section 4 *vide* No. 239 dated 4-9-2001 notifying the National Council for Teacher Education (Norms and Standards for Recognition of Teacher Education Programmes) Regulations, 2001, para 1(b) of the Norms and Standards for Master of Education Programme (M. Ed.) (Part Time) at Appendix IV to the National Council for Teacher Education (Norms and Standards for recognition of teacher education programmes) Regulations, 2001 is substituted by the following :—

1(b) "Only University Departments of Education, Institutes of Advanced Studies in Education (IASEs) and Colleges of Teacher Education (CTEs) which run M.Ed. programme, are eligible to offer M. Ed (Part Time) programme subject to such a course instituted by the concerned affiliating university."

These amendments shall come into force with immediate effect.

S. K. RAY, Member Secy.

[ADVT III/IV/131/2001/Exty.]

Attested
[signature] 25/4/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

411